

ई-मेल

11

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ- 60/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/2011-12

दिनांक 12 अप्रैल-2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010, दिनांक 11-4-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0 27,500.00 लाख (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि रु0 2750.00 लाख (रु0 सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि रोकते हुए उक्त धनराशि में से रु0 17153.37 लाख (रूपये एक अरब इकहत्तर करोड़ तिरपन लाख सैंतीस हजार मात्र) संलग्नक के कालम-3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

1- आवंटित की जा रही धनराशि से अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लाभान्वित किया जायेगा तथा इस हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-177/38-9-10-13ब/2006, दिनांक 14-01-2010 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 1604/वि0 का0/म.आ.यो./10-11 दिनांक 19 मई 2010 के अनुसार लाभार्थियों की तैयार सूची उपयोग में लायी जायेगी।

2- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

3- उक्त आवंटित धनराशि के व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4- आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

6- आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवासपर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

8- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-188 पर कर ली गई है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मवदीय,
12/11/11
(सिजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक:-जीओ- 60 /सम्प्रेक्षा/म०आ०यो०/2011-12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/नियोजन अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र०शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र०शासन।
- 10- संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ०प्र०शासन को शासनादेश संख्या-307 /26- ब०प्र०- 2011-17(बजट)/2010, दिनांक 11-4-2011 के क्रम में।

(प्रहेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

महामाया आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
45	MIRZAPUR	315.00	315.00
46	SONBHADRA	0.00	0.00
47	SANT RAVIDAS NAGAR	0.00	0.00
48	LUCKNOW	486.90	486.90
49	SITAPUR	1744.65	1744.65
50	UNNAO	613.35	613.35
51	HARDOI	1111.95	1111.95
52	KHERI	403.65	403.65
53	RAE BARELI	0.00	0.00
54	CHHTARAPATI SHUJIMAHARAJNAGAR	0.00	0.00
55	GORAKHPUR	0.00	0.00
56	DEORIA	77.40	77.40
57	KUSHINAGAR	149.85	149.85
58	MAHRAJGANJ	284.85	284.85
59	BASTI	219.60	219.60
60	SIDHARTHANAGAR	355.50	355.50
61	SANT KABIR NAGAR	236.25	236.25
62	AZAMGARH	0.00	0.00
63	MAU	327.15	327.15
64	BALLIA	445.50	445.50
65	FAIZABAD	297.45	297.45
66	BARABANKI	884.70	884.70
67	SULTANPUR	419.40	419.40
68	AMBEDKARNAGAR	294.30	294.30
69	GONDA	0.00	0.00
70	BAHRAICH	0.00	0.00
71	BALRAMPUR	0.00	0.00
72	SHRAWASTI	46.80	46.80
	STATE TOTAL	17153.370	17153.370

(रु० एक अरब इकहतर करोड़ तिरपन लाख सैंतीस हजार मात्र)

(प्रहेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

महामाया आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	9.45	9.45
3	BULANDSHAHAR	166.95	166.95
4	G.B. NAGAR*	5.85	5.85
5	BAGPAT	0.00	0.00
6	SAHARANPUR	296.10	296.10
7	MUZAFARNAGAR	90.45	90.45
8	MORADABAD	93.60	93.60
9	BIJNOR	0.00	0.00
10	RAMPUR	81.90	81.90
11	J.B.F. NAGAR	18.45	18.45
12	BAREILLY	97.20	97.20
13	BADAUN	391.05	391.05
14	SHAHJAHANPUR	876.15	876.15
15	PILIBHIT	225.00	225.00
16	AGRA	63.45	63.45
17	MAINPURI*	125.55	125.55
18	MATHURA	164.70	164.70
19	FIROZABAD	58.50	58.50
20	ALIGARH	111.60	111.60
21	ETAH	77.40	77.40
22	KANSHIRAM NAGAR	75.15	75.15
23	HATHRAS	11.70	11.70
24	JHANSI	286.15	286.15
25	JALAUN	48.50	48.50
26	LALITPUR	266.75	266.75
27	BANDA	291.00	291.00
28	HAMIRPUR	86.33	86.33
29	MAHOBA	0.00	0.00
30	CHITRAKUT	446.69	446.69
31	ALLAHABAD	521.55	521.55
32	FATEHPUR	0.00	0.00
33	PRATAPGARH	675.00	675.00
34	KAUSHAMBHI	317.70	317.70
35	KANPUR NAGAR	133.65	133.65
36	RAMABAI NAGAR	497.70	497.70
37	ETAWAH	155.25	155.25
38	FARRUKHABAD	136.35	136.35
39	KANNAUJ	260.10	260.10
40	ORRAIYA	97.20	97.20
41	VARANASI	228.15	228.15
42	GHAZIPUR	420.75	420.75
43	JAUNPUR	530.10	530.10
44	CHANDAULI	0.00	0.00

2

5

संख्या- 307 /26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 11 अप्रैल, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अदमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-02/सम्प्रेक्षा/महा0आ0यो0/2011-12 दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0 27500.00 लाख (रु0 दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से यथावश्यक जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की सहमति से आवंटित की जायेगी ।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।
- 6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।
- 7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-“4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।

.....2/-

6

-2-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011 दिनांक 21 मार्च, 2011 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 307(1)/26-ब0प्र0-2011-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
- ✓5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
- 8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
- 9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।